प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 24.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अरुण सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 24.11.2022 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अरुण सिंह पुत्र ब्रह्मदेव नि0 सुरजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कौशल किशोर
2. कां0 दीपक कुमार

थाना गोला पुलिस द्वारा, गैंगस्टर एक्ट में वांछित दस हजार का इनामियां अभियुक्त वसीम कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा अलीगंज रोड़ कुटी के पास थाना गोला जनपद खीरी से वसीम कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी नि० भुडवारा थाना गोला जनपद खीरी से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभि० उपरोक्त का थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 658/2022 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना गोला जनपद खीरी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त था। पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के द्वारा दिनांक 19.11.2022 को अभि0 उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दस हजार का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना गोला पर मु०अ०स० 796/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
वसीम कुरेशी पुत्र हनीफ कुरेशी नि० भुडवारा थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी-
01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0स0 658/2022 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना गोला जनपद खीरी
2 मु0अ0सं0 359/2022धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु कुरता अधिक थाना गोला खीरी
3. मु0अ0स0] 796/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 श्री अम्बेश्वर दत्त त्रिपाठी
2. का0 सूर्य प्रताप राघव
3. का गौरव उज्जवल
4. का0 मुकेश कुमार
5. कां0 बॉबी कुमार
6. कां0 बन्टी सागर

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर सैधरी बाईपास, टेढुई तिराहा पर यातायात प्रभारी निर्मलजीत यादव, आरक्षी यातायात संदीप कुमार, बीवन राज, पंकज वर्मा के साथ चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें ट्रक, ट्रैक्टर डबल ट्राली पर गन्ना आदि ओवर हाइट कर परिवहन ना करें, वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली लोडर पिकअप पर यात्रा न करें एवं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद् मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 215 वाहनों का चालान 04 वाहन सीज किए गए हैं

शीतऋतु/कोहरा कें दृष्टिगत दुर्घटना को रोकथाम हेतु करीब 65 ट्रैक्टर ट्राली, डनलप, लोडर, पिकअप एवं अन्य वाहनों में निशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया।

<u>थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त वसीम पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.11.22 को थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र हनीफ निवासी ग्राम भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 796/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

1. थाना फरधान पुलिस द्वारा, अ0सं0 1451/15 धारा 60 Ex Act में वारण्टी अभियुक्त विजयपाल पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी परसेहराखुर्द थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना निघासन पुलिस द्वारा, अ0सं0 1917/22 धारा 138 वि0 अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त कौशल पुत्र बनवारी निवासी रघुनाथपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 133 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>133 लीटर अवैध</u>** कच्ची शराब व **<u>03 शराब भट्टी</u>** बरामद कर **<u>08 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>08 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।